कार्यालय/न्यायालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)

//परिपत्र//

उज्जैन, दिनांक–19.06.2020

कमांक–क्यू/2020

यह देखने में आया है कि मजिस्ट्रेट न्यायालय में रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान अभियुक्त एवं डायरी पेश की जाती है। अधिवक्ता न्यायालय में सोशल डिस्टेसिंग के कारण व्यक्तिगण रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, न ही आवेदन पेश कर पाते हैं। उन्हे अपना आवेदन और दस्तावेज मेल के माध्यम से सिस्टम ऑफिसर/एनालिस्ट के समक्ष पेश करना होता है। सामान्य कामकाज के दिनों में अधिवक्ता अपना यह आवेदन सीधे न्यायालय में पेश करते हैं और रिमाण्ड के साथ साथ ही डायरी को देखते हुए जमानत आवेदन पत्र का निराकरण होता है, लेकिन अभी कुछ ऐसे तथ्य मेरे सामने लाये गये कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को रिमाण्ड देने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत आवेदन की प्रतीक्षा नहीं की गई और जे.आर. स्वीकार कर वारंट बनाकर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया, जबकि अभियुक्त का आवेदन अधिवक्ता के माध्यम से सिस्टम ऑफिसर/सिस्टम एनालिस्ट के समक्ष पेश हो चुका होता है। ऐसी स्थिति में यदि आवेदन पत्र में इस बात का उल्लेख है कि अभियुक्त का आज ही रिमाण्ड है और उसे पेश किया गया है तो वह आवेदन अविलंब हॉर्ड कॉपी में संबंधित न्यायालय में भेजा जाना चाहिये, ताकि उसी दिन डायरी और अभियुक्त के साथ अभियुक्त के जमानत आवेदन की सुनवाई हो। साथ ही न्यायालय का यह कर्त्तव्य है कि अभियुक्त का जेल वारंट बनाने के पूर्व वह सिस्टम ऑफिसर या सिस्टम एनालिस्ट जिसके पास की आवेदन भेजा जाता है, से अपने लिपिक के माध्यम से यह पूछ ले कि कहीं इस मामले में आवेदन उनके पास आया तो नहीं।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि जमानत आवेदन पत्र का निराकरण व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, क्योंकि उसे सिस्टम ऑफिसर या सिस्टम एनालिस्ट ने न्यायालय में नहीं पहुंचाया या न्यायालय ने अभियुक्त का वारंट बना दिया, इस आधार पर उसे दूसरे दिन सुनवाई के लिये नहीं टाला जा सकता। साथ ही अधिवक्ताओं को यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसे मामले में जिन में उसी दिन अभियुक्त को डायरी के साथ पेश किया जा रहा है, इसका उल्लेख विशिष्ट बोल्ड अक्षरों में करें, ताकि वह आवेदन उसी दिन न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिये लाया जा सके।

एस.सी./एस.टी. के मामलों में जहां फरियादी को सुनवाई के लिये नोटिस दिया जाता होता है, यदि फरियादी स्वयं अपना आधार कार्ड लेकर और अनापत्ति लेकर जिस दिन अभियुक्त को पेश किया जाता है और डायरी पेश की जाती है, उसी दिन उपस्थित रहता है, तब यह परम्परा उचित नहीं है कि फरियादी के उपस्थित होने पर भी और अनापत्ति होने पर भी जमानत आवेदन पत्र का निराकरण अगले दिन के लिये टाल दिया जाये। यदि डायरी न्यायाधीश के समक्ष है, अभियुक्त भी है और फरियादी भी है और उसकी अनापत्ति भी है, तो जमानत आवेदन पत्र का निराकरण तत्काल उसी दिन विधि अनुसार होना चाहिये।

प्रकिया का कठोरता से पालन किया जावे।

19/6/2020

(श्यामकांत कुलकर्णी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठां0 कमांक–क्यू–1/2020 उज्जैन, दिनांक–19.06.2020
प्रतिलिपि–

1 समस्त न्यायाधीशगण,
2 समस्त कर्मचारीगण,
न्यायालय–उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3 अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, उज्जैन
4 कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय, उज्जैन
5 प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, उज्जैन
6 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उज्जैन
की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

19/6/2020

(श्यामकांत कुलकर्णी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)